झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
(उप निदेशक कल्याण कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग)

प्रवेश परीक्षा/नामाकंन संबंधी सूचना शैक्षणिक वर्ष–2025–26

उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्न एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय में वर्ष–2025–2026 के रिक्ति के अनुसार वर्ग षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम (वर्ग–06, 07 08) में नामाकंन हेतु इच्छुक छात्र/छात्राओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक–28.02.2025 तक आमंत्रित किये जाते है।

उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, अन्तर्गत संचालित विद्यालय

क्र0	जिला	विद्यालय का नाम		वर्गवार रिक्तियाँ							
				बालक/बालिका	कोटि	VI		VII		VIII	
						बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	हजारीबाग	01.	पिछड़ी जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, मटवारी (हजारीबाग)	बालिका	obc	–	39	–	00	–	00
		02.	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, बरसोत (हजारीबाग)	बालक	sc	16	–	17	–	26	–
		03.	आश्रम आवासीय विद्यालय, भेलवारा (हजारीबाग)	बालक	st	40	–	00	–	00	–
2.	रामगढ़	04.	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, माण्डू (रामगढ़)	बालक	st	30	–	22	–	02	–
3.	गिरिडीह	05.	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, खरगडीहा (गिरिडीह)	बालक	sc	35	–	30	–	00	–
		06.	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, जमुआ (गिरिडीह)	बालक	sc	28	–	18	–	00	–
		07.	अनुसूचित जनजाति आ0 बालिका उच्च विद्यालय, पीरटांड (गिरिडीह)	बालिका	st	–	31	–	20	–	04
		08.	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, पालगंज, पीरटांड (गिरिडीह)	बालक/बालिका	st	30	30	21	00	21	00
		09.	आश्रम आवासीय विद्यालय, देवरी (गिरिडीह)	बालक	st	40	00	10	00	02	00
4.	धनबाद	10.	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर, (धनबाद)	बालक	sc	27	–	16	–	02	–
		11.	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, टुण्डी (धनबाद)	बालक/बालिका	st	30	30	30	00	30	08
5.	बोकारो	12.	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, चास (बोकारो)	बालक	sc	33	–	12	–	04	–
		13.	आश्रम आवासीय विद्यालय, तुलबुल गोमियॉ (बोकारो)	बालक	st	40	–	00	–	01	–
6.	चतरा	14.	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, लावालौंग (चतरा)	बालक	st	28	–	25	–	19	–
		15.	अनुसूचित जाति आ0 बालिका उच्च विद्यालय, सिमरिया (चतरा)	बालिका	sc	–	20	–	10	–	00
		16.	आश्रम आवासीय विद्यालय, जबरा (चतरा)	बालिका	st	00	40	00	00	00	00
		17.	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कन्हाचट्टी (चतरा)	बालक/बालिका	st	30	30	30	06	30	11
7.	कोडरमा	18.	आश्रम आवासीय विद्यालय, नागरितो, मरकच्चो (कोडरमा)	बालिका	st	–	40	–	00	–	02

1. वर्ग 06,07 एवं 08 में नामाकंन हेतु आवेदन प्रपत्र संबंधित जिला कल्याण कार्यालय, संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय एव संबंधित विद्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक निःशुल्क वितरण एवं निःशुल्क प्राप्त किया जायेगा।

2. अनुसूचित जाति के विद्यालय में अस्वच्छ कार्य में लगे परिवार के बच्चों के लिए 25% प्रतिशत तथा मुसहर एवं भुईंयाँ जाति के बच्चों के लिए 25% प्रतिशत स्थान नामाकंन में सुरक्षित रहेगा।

3. अनुसूचित जनजाति की सभी उपजातियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में आदिम जनजातियों के लिए नामाकंन में 25% प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगा। यदि उक्त कोटि की आरक्षित सीटों के लिए छात्र/छात्राएँ उपलब्ध नहीं होते है तो प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण, का अनुमोदन लेकर मेघा सूची से ही अन्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति की अन्य उपजातियों के बच्चों/बच्चियों का नामाकंन आरक्षित सीट के विरूद्ध किया जायेगा।

4. एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालयों में आरक्षण NATIONAL EDUCATION SOCIETY FOR TRIBAL STUDENT (NETSTS) के गार्डलाईन के अनुसार किया जाएगा।

5. वर्ग 06, 07 एवं 08 में नामाकंन हेतु लिखित जाँच परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए छात्रों को क्रमशः 05, 06 एवं 07 वर्ग उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

6. नामाकंन हेतु चयनित छात्र/छात्राओं की सूची संबंधित विद्यालय एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।

7. नामाकंन का आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि–28.02.2025 निर्धारित है।

8. वर्ग 06, 07 एवं 08 में नामाकंन हेतु लिखित जाँच परीक्षा दिनांक–09.03.2025 (रविवार) को संबंधित जिला के उपायुक्त/जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित केन्द्र पर होगी।

9. नामाकंन के समय चयनित छात्र/छात्राओ को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं बी0पी0एल0 या आय प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवार के बच्चों को ही नामांकित किया जायेगा इसके लिए बी0पी0एल0 की सूची में नाम/आय प्रमाण पत्र के आधार पर नामाकंन की पात्रता निर्धारित की जायेगीं।

11 .जिन छात्र/छात्राओं के माता पिता सरकारी सेवा में कार्यरत है, उनके बच्चों का नामाकंन हेतु आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा। इस आशय का घोषणा पत्र आवेदक के माता पिता/अभिभावक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। असत्य/फर्जी घोषणा देने वाले अभिभावक के विरूद्ध आवश्यक कानुनी कार्रवाई की जायेगी।

12. पिछड़ी जाति बालिका आवासीय विद्यालय मटवारी, हजारीबाग में केवल वर्ग षष्ठम (6) में ही नामाकंन ली जाएगी।

13. चयनित छात्र/छात्रओं को दिनांक–20.04.2025 तक नामाकंन कराना अनिवार्य होगा।

14. वर्ग 06, 07 एवं 08 में नामाकंन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय जहाँ वे अध्ययनरत है, प्रधानाध्यापक उनके नामाकंन आवेदन पत्र में अंकित छात्र/छात्रा का नाम, जन्म तिथि, वर्ग 05, 06 एवं 07 में अध्ययनरत/उत्तीर्ण होने के तथ्यों को अपने विद्यालय की मुहर एवं अपना पुर्ण हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करते हुए आवेदन पत्र अग्रसारित करेंगे।

15. आवेदक को बी0 पी0 एल0 परिवार के होने का प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र में जमा करना अनिवार्य होगा।

16. प्रवेश पत्र संबंधित जिला कल्याण कार्यालय से जिला कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

17. परीक्षा का विषय हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं समाजिक विज्ञान होगा जो बहुविकल्पीय (objective) होगा।

18. नामांकित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं को सरकार के द्वारा भोजन,पठन–पाठन सामग्री, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सारी सुविधाएँ निःशुल्क दी जाती है।

19. सिलेबस में वर्ग 06, 07 एवं 08 में नामाकंन हेतु क्रमशः 05, 06 एवं 07 वर्ग स्तर का प्रश्न पुछा जायेगा।

20. **परीक्षाफल प्रकाशन तक रिक्तियों की संख्या में घट–बढ़ भी हो सकता है।**

21. आवेदक को झारखण्ड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

22. **सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में परीक्षा तिथि में परिवर्तन हो सकता है।**

23.

क्रम संख्या	कक्षा	अधिकतम उम्र सीमा (नामाकंन वर्ष के 31 मार्च को)
1	कक्षा 6	12 वर्ष
2	कक्षा 7	13 वर्ष
3	कक्षा 8	14 वर्ष

24. नये प्रस्तावित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय/आश्रम आवासीय उच्च विद्यालय एवं अन्य आवासीय विद्यालय के परीक्षाफल प्रकाशन के पूर्व अंतिम रूप से कक्षावार जो रिक्ति प्राप्त होगा उसे अंतिम रूप से परीक्षाफल मे सम्मिलित कर दिया जाएगा।

25. इस विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार कल्याण विभाग/अधोहस्ताक्षरी को होगा।

13/02/25

उप निदेशक कल्याण,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।